

06-11-19

वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का आवेदन
किया। प्रकलन नगर पालिका बेट से सम्बन्धित
है। स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर की
अधिसूचना क्रमांक प. 8 (ग) (1) दिनांक 01.12.19
15/5843 दिनांक 10.6.2018 के अनुसार राज.
नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73
के अधीन प्रकरणों की सुनवाई व निस्तारण
की अधिकार प्राप्ति सम्भागीय आयुक्त
महोदय को है। अतः प्रकलन की सुनवाई की
अधिकार इस न्यायालय को नहीं होते हैं
यह प्रकलन प्रा. सम्भागीय आयुक्त महोदय
महोदय के न्यायालय को मुक्तिके विभाजन
है। प्रार्थी के अधिभाषक को सूचित किया
गया। प्रकलन इस न्यायालय के दायरा
रजिस्ट्रार से कम किया गया।

जिला कलेक्टर
भरतपुर (गज.)